

नवोदय विद्यालय समिति

जयपुर संभाग (राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली राज्य)
शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त संस्थान,
भारत सरकार
क्षेत्रीय कार्यालय : 18, संग्राम कॉलोनी, महावीर मार्ग,
सी-एसीम, जयपुर 302001 (राजस्थान)



NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI

JAIPUR REGION (Rajasthan, Haryana & Delhi States)
An Autonomous Organization of Ministry of Education
Development, Department of Education,
Govt. Of India

Regional Office: 18, Sangram Colony, Mahaveer Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302001 (Rajasthan)

I hope you are ensuring the wearing of masks, following of physical distancing and maintaining of hand hygiene for yourself, and your office and staff on a regular basis".
Phone 0141-2375110, Fax: 0141-2375426, Web Site : <http://www.nvsjpr.net>, email: nvsjpr@dataonce.in, Gram: NAVSAM

Date:- 28.10.2020

REGISTERED

F. No 2-4/Vig. Day/Admn./NVS-JR/

प्रति

प्राचार्य

समस्त जवाहर नवोदय विद्यालय

जयपुर संभाग

विषय:- 'सर्तकता जागरूकता सप्ताह' 2020 के पालन हेतु।

महोदय / महोदया

उपरोक्त विषयात्मक आपका ध्यान नवोदय विद्यालय समिति-मुख्यालय के पत्र संख्या 14-2/2002 -नविस (सर्तकता) / 145 दिनांक 09.10.2020, जो कि नविस मुख्यालय की वेब साईट पर भी उपलब्ध है, की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालयों में 'सर्तकता जागरूकता सप्ताह' दिनांक 28.10.2019 (सोमवार) से 02.11.2019 (शनिवार) तक मनाया जाना है। जिसकी विषय Vigilant India, Prosperous India "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" है।

उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि नविस मुख्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र की अनुपालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुए 'सर्तकता जागरूकता सप्ताह' के दौरान आयोजित की गई गतिविधियों की विस्तृत सूचना इस कार्यालय के विद्यालय प्रशासन अनुभाग को दिनांक 06 नवम्बर 2020 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त भी उल्लेख है कि सर्तकता जागरूकता के संबंध में केन्द्रीय सर्तकता आयोग की वेबसाईट <http://www.cvc.gov.in> पर नोटिफिकेशन आदि उपलब्ध है।

भवदीय

(एन के पद्दल)
उपायुक्त 28/10/2020

प्रतिलिपि :-

- विद्यालय प्रशासन अनुभाग, नवोदय विद्यालय समिति, जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जवाहर नवोदय विद्यालयों से प्राप्त कृत कार्यवाही की सूचना को संकलित करते हुए विस्तृत सूचना सर्तकता अधिकारी नविस मुख्यालय को दिनांक 09 नवम्बर 2020 तक अथवा उससे पहले प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- श्री हरीश कुमार जेठानी, कम्प्यूटर ऑपरेटर नविस जयपुर संभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र इस कार्यालय की वेब साईट पर भी मय संलग्नकों के प्रदर्शित करें।

नवोदय विद्यालय समिति

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

गो-15, इंटीट्युशनल परिया, मैक्टा-62, नोएडा, नोएडा बृद्ध नगर (उप.)-101309
दृ. 0120-2405969, 70, 71, 72, 73, फैक्स : 0120-2405182



Navodaya Vidyalaya Samiti

Ministry of Education, Govt. of India

(Dept. of School Education & Literacy)

B-15, Institutional Area, Sector 62, NOIDA, Gautam Budh Nagar (U.P.)-201309

Tel: 0120-2405969, 70, 71, 72, 73, Fax: 0120-2405182

वेबसाइट/Website : www.Navodaya.gov.in

सं.सं. 14-2/2002-न.वि.स. (सतर्क.)/145

दिनांक : 09.10.2020

सेवा में,

पृष्ठ ५
२११०

उपायुक्त,
नवोदय विद्यालय समिति,
सभी क्षेत्रीय कार्यालय

विषय : सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2020 का अनुपालन।

महोदय/महोदया,

जैसा विदित है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी) के निर्देशों के अनुपालन में हर वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) ने यह निर्णय लिया है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 27 अक्टूबर (मंगलवार), 2020 से 2 नवम्बर (सोमवार) 2020 तक मनाया जाएगा, जिसका विषय 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत (Vigilant India, Prosperous India)' होगा। अतः आपसे यह निवेदन है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पालन के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखें :-

- क) सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को प्रातः 11 बजे संगठन के वरिष्ठतम कार्यवाहक अधिकारी द्वारा सभी स्टाफ सदस्यों के लिए सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा के साथ प्रारंभ होना चाहिए। सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा की एक प्रति परिशिष्ट ख पर संलग्न है।
- ख) सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अनुपालन पर प्रकाश डालने वाले पोस्टर/बैनर को कार्यालय और ज.न.वि. परिसर के साथ-साथ न.वि.स./ज.न.वि. वेबसाइटों के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- ग) सभी स्थानों एवं सभी कार्यक्रमों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 के निवारण संबंधी दिशानिर्देशों, साथ ही वित मंत्रालय के व्यय विभाग के दिनांक 04.09.2020 के कार्यालय जापन संख्या 7(2) ई. कोई/2020 द्वारा जारी किए गए अर्थोपायों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है।

विषय 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत (Vigilant India, Prosperous India)' से संबंधित प्रासंगिक गतिविधियां जैसा कि नीचे दर्शाई गई हैं, संगठन के अंतर्गत कार्यालयों (संभागीय कार्यालयों, नवोदय नेतृत्व संस्थानों एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों) में आयोजित की जाएँ :-

घ)

विषय 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत (Vigilant India, Prosperous India)' से संबंधित प्रासंगिक गतिविधियां जैसा कि नीचे दर्शाई गई हैं, संगठन के अंतर्गत कार्यालयों (संभागीय कार्यालयों, नवोदय नेतृत्व संस्थानों एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों) में आयोजित की जाएँ :-

Re/18)

घ)

2110) २०

१८)

- i. सभी से अनुरोध है कि वे आन्तरिक (हाउसकीपिंग) गतिविधियों पर ध्यान दें, जिन्हें सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत अभियान किया जाना है। संगठनों के मार्गदर्शन के लिए इन क्रियाकलापों के निदशानिर्देश एक सांकेतिक सूची के रूप में परिचालित किये जा रहे हैं (परिशिष्ट क)। आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुसार अन्य गतिविधियाँ/ अन्य कार्य किए जा सकते हैं।
 - ii. सभी कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी का संकल्प लेना - सभी कर्मचारियों को वेबसाइट पर जाकर ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जो लोग मौखिक रूप से प्रतिज्ञा लेते हैं, उन्हें वेबसाइट के माध्यम से इसे रिकार्ड करने की सलाह भी दी जा सकती है।
 - iii. ऑनलाइन 'अखंडता प्रतिज्ञा' केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वेबसाइट <http://www.cvc.gov.in> पर उपलब्ध है और इसे मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए गए hyperlink के माध्यम से भी अभिगम (access) किया जा सकता है।
 - iv. सतर्कता उपाय निवारण संबंधी नीतियों/प्रक्रियाओं पर सभी कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों के लिए कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
 - v. कर्मचारियों/ग्राहक उन्मुख सूचनाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय कार्यालय/नवोदय नेतृत्व संस्थान/ज.न.वि. वेबसाइट का उपयोग किया जाए तथा शिकायतों के निवारण के लिए समुचित उपायों को उपलब्ध कराया जाए।
 - vi. जागरूकता एवं विस्तृत प्रचार के लिए अपनाये गए सर्वांगीण सुधार एवं अच्छी पद्धतियों को उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा सकता है।
 - vii. कोविड-19 निवारण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए, विद्यार्थियों/कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लिए झट्टाचार-विरोधी विषयों पर विभिन्न प्रतियोगताएं जैसे वाट-विवाट, प्रश्नोत्तरी आदि आयोजित करवाएं।
 - viii. उन व्यक्तियों द्वारा ई-सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा की संकल्पना को बढ़ावा दें, जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं।
- इ) समाज में फैले झट्टाचार के बुरे प्रभावों एवं इसके निवारण हेतु निम्नलिखित गतिविधियाँ अपनाई जा सकती हैं :-
- i. आयोग ने 'अखंडता प्रतिज्ञा' की अवधारणा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। दो अखंडता प्रतिज्ञाएं उपलब्ध हैं, एक, नागरिकों के समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए और दूसरा कॉर्पोरेट/संस्थाओं/फर्मों आदि के लिए (परिशिष्ट - 'ख' एवं 'ग')। सभी कार्यालयों को अपने सभी कर्मचारियों, उनके परिवारों, विक्रताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/हितधारकों, विद्यार्थियों, नागरिकों आदि के बीच 'अखंडता प्रतिज्ञा' का प्रसार और प्रचार करने की दिशा में नए सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि आयोग की पहल के लिए व्यापक भागीदारी हो सके।
 - ii. जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स, बड़ी संख्या में एस.एम.एस./ई-मेल, व्हाट्सएप, इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया आदि का व्यापक प्रयोग किया जा सकता है।
 - iii. उपभोक्ता सेवाओं/गतिविधियों वाले संगठनों द्वारा नागरिकों/उपभोक्ताओं के लिए समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाए। इसी तरह से, जहाँ भी आवश्यकता हो, विक्रेता की बैठकें ऑनलाइन तरीके से आयोजित की जा सकती हैं।

- iv. संगठन, भ्रष्टाचार विरोधी संदेश के प्रचार और समृद्ध भारत के लिए आवश्यक, सतर्क भारत की आवश्यकता पर बल देने हेतु विभिन्न क्रियाकलापों को संचालित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन तरीके का व्यापक रूप से प्रयोग कर सकता है।
- v. सतर्कता स्टडी सर्कल/ज.न.वि. अखण्डता क्लब भी कोविड-19 दिशानिर्देशों के साथ-साथ अर्थोपायों को ध्यान में रखते हुए, इन कार्यकलापों में से कोई या सभी कार्यकलापों को आयोजित करके सतर्कता जागरूकता सप्ताह में सक्रिय रूप से सहभागी बन सकते हैं।
- घ) यह भी अनुरोध किया जाता है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यकलापों को पूरे उत्साह एवं जोश के साथ आयोजित किया जाए। यद्यपि सभी कार्यकलापों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित करने की आवश्यकता है, तथापि अत्यावश्यकता/विद्यालय के अवकाश आदि के मामले में, इन्हें सतर्कता जागरूकता सप्ताह से पहले अथवा बाद में आयोजित किया जा सकता है।

मुझे विश्वास है कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय/नवोदय नेतृत्व संस्थान/ज.न.वि. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन उचित तरीके से करेंगे तथा परिशिष्ट 'घ' में दिए गए प्रारूप में संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कम से कम 05 अच्छी फोटो (कैप्शन सहित जे.पी.ई.जी. प्रारूप में) 10 नवम्बर, 2020 या उससे पहले नवोदय विद्यालय समिति, मुख्यालय को प्रेषित करेंगे ताकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार



(जै नारायण कुमार)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन/कार्मिक), न.वि.स. मुख्यालय - सूचनार्थ।
2. महाप्रबन्धक (निर्माण), न.वि.स. मुख्यालय - सूचनार्थ।
3. उपायुक्त, सभी नवोदय नेतृत्व संस्थान - समान कार्यवाही हेतु।
4. सहायक आयुक्त (आई.टी.), न.वि.स. मुख्यालय - समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करने हेतु।
5. प्राचार्य, सभी जवाहर नवोदय विद्यालय - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही (ई-मेल द्वारा)।

उन क्षेत्रों/गतिविधियों की निर्देशक सूची जिन्हें सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के एक भाग के रूप में अभियान में सम्मिलित किया जाना है।

(सभी संगठनों को निदेश दिया जाता है कि वे वर्तमान कोविड-19 के निवारण दिशानिर्देशों का और व्यय विभाग के दिनांक 04.09.2020 के कार्यालय जापन संख्या 7 (2) ई. कार्ड/2020 के माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा परिचालित अर्थोपाय का सभी स्थानों तथा कार्यक्रमों में सख्ती से अनुपालन करें।)

1. भूमि प्रबंधन (भूमि, संपत्ति का स्वामित्व, अतिक्रमण मुद्दे आदि)

- (क) क्या संगठन के पास अपने नियंत्रणाधीन भूमि के राजस्व दस्तावेज/रिकार्ड हैं?
- (ख) कितनी भूमि पर अतिक्रमण है और यह किन स्थानों पर है?
- (ग) अतिक्रमण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
- (घ) कोई अन्य पहल?

2. आवास/निवास का आबंटन और संबंधित मुद्दे

- (क) क्या संगठन आवास आबंटन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का उपयोग करता है?
- (ख) क्या संगठन के पास आवास आबंटन नीति है?
- (ग) क्या निर्धारित नीति के अनुसार आवास आबंटन किया जाता है?
- (घ) क्या आवासों पर कोई अवैध कब्जा है, यदि कोई है तो क्या कार्रवाई की जा रही है?
- (ङ) अन्य कोई मुद्दा?

3. संगठन में बाह्य स्रोतों से सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को भुगतान और अन्य लाभ

- (क) क्या संगठन के पास बाह्य स्रोतों से सेवाओं के लिए निर्धारित मानदंड हैं?
- (ख) यदि हाँ, तो क्या इन मानदंडों का पालन किया जाता है?
- (ग) क्या ठेकेदार द्वारा वेतन/मजदूरी का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है?
- (घ) क्या अन्य सांविधिक देय (पीएफ, चिकित्सा लाभ आदि) समय पर दिए जा रहे हैं?
- (ङ) क्या बाह्य स्रोतों से नियुक्त व्यक्तियों को देय मजदूरी का भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जाता है और प्रबंधन द्वारा कोई जांच की जाती है?
- (च) क्या विक्रेता, संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन कर रहे हैं?
- (छ) बाह्य स्रोतों से नियुक्ति के संबंध में कोई अन्य विशेष पहल?

4. आस्तियों का प्रबंधन

- (क) क्या आस्तियों का निराकरण (संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, वाहन, विविध वस्तुएं आदि) वर्तमान नियमों के अनुसार सख्ती से किया जा रहा है?
- (ख) आस्तियों के निराकरण की पिछली तिथि (संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, वाहन, विविध वस्तुएं आदि) दी जाए।

5. 01.09.2020 की स्थिति के अनुसार जाँच एवं रिपोर्ट के लिए लंबित शिकायतें

छह महीने से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निपटान 15.10.2020 तक किया जाए।

एक वर्ष से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निपटान 31.10.2020 तक किया जाए।

मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पास लंबित अन्य विषय

(क) अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई शिकायतों की स्थिति।

6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग को आगे स्पष्टीकरण वाले लंबित सतर्कता मामले

मामलों का निष्पादन 31.10.2020 तक किया जाए।

7. बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां

छह महीने से अधिक समय से लंबित कार्यवाहियों को 31.10.2020 तक निपटाया जाए।

8. लघु शास्ति की कार्यवाहियां

छह महीने से अधिक समय से लंबित कार्यवाहियों को 15.10.2020 तक निपटाया जाए।

एक वर्ष से अधिक समय से लंबित कार्यवाहियों को 31.10.2020 तक निपटाया जाए।

9. मुख्य तकनीकी परीक्षक के निरीक्षण

सभी लंबित मुख्य तकनीकी परीक्षक निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा का उत्तर 15.10.2020 तक भेजा जाए।

10. मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा किए गए निवारक सतर्कता उपाय

(क) निरीक्षण

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम/ ई-प्रशिक्षण सहित कार्यशालाएं/ऑनलाइन प्रशिक्षण।

(ग) क्या सभी अधिकारियों द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत की गयी हैं?

(घ) क्या संगठन के पास रिकॉर्ड धारण / संरक्षण नीति है? यदि हां, तो अंतिम संशोधन की तिथि लिखें।

(ङ) क्या संगठन की वर्तमान धारण नीति के अनुसार रिकॉर्ड नष्ट किए जा रहे हैं?

(च) क्या संगठन पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर रहा है/ डिजिटलीकृत करने की योजना बना रहा है?

11. यदि संगठन विद्यालय, अस्पताल आदि चलाता है, तो क्या प्रबंधन के लिए निर्धारित नीति का पालन किया जाता है?

12. लैंगिक संवेदीकरण संबंधी मामले

- (क) क्या संगठन ने कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के लिए निर्धारित समितियों का गठन किया है? यदि हाँ, तो अंतिम बैठक की तिथि।
- (ख) संगठन में सभी स्तरों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है?
- (ग) क्या संगठन में लैंगिक संवेदीकरण संबंधी मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न की जा रही है?

13. प्रौद्योगिकी उत्तोलन - आईटी उपयोग और ई-गवर्नेंस

- (क) एक निवारक सतर्कता उपाय के रूप में आईटी का उपयोग करने के लिए पिछले एक वर्ष में की गई नई पहलें (प्रत्येक पहल लगभग 50 शब्दों में वर्णित की जाए)।
- (ख) क्या संगठन में चल रहे आईटी आधारित अनुप्रयोगों के लिए सूचना प्रणाली परीक्षण नियमित रूप से किया जाता है? अंतिम सूचना प्रणाली परीक्षण की तिथि दी जाए।

14. ऑडिट रिपोर्ट की संवीक्षा

15. नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों को अद्यतन करना

- (क) क्या संगठन नियमित रूप से अपने अनुदेशों, नियमों और विनियमों को संशोधित करता है? यदि हाँ, तो खरीद नियम, सीडीए नियमावली, स्थानांतरण / तैनाती नीति, एचआरए नीति, पटोन्नति नीति, धोखाधड़ी निवारण नीति / व्यापार नीति पर प्रतिवंध आदि की अंतिम संशोधन की तिथि।
- (ख) क्या संगठन ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए नियम बनाए हैं? यदि हाँ, तिथि प्रस्तुत करें।

16. व्यवस्था में किए गए सुधार (100 शब्दों के भीतर संक्षिप्त विवरण)

व्यवस्था सुधार कार्यों / पहलों का विवरण, प्रत्येक कार्य / पहलों के लिए 50 शब्दों में दिया जाए / और सभी कार्यों के लिए कुल शब्द 100 से अधिक न हों।

नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः, मैं, प्रतिज्ञा करता हूँ कि :-

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा ;
- ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा ;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा ;
- जनहित में कार्य करूँगा ;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा ;
- भष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित संस्था को दूँगा।

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भष्टाचार एक बड़ी बाधा है। हमारा विश्वास है कि भष्टाचार का उन्मूल करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं।

हम मानते हैं कि भष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें अग्रणी नेतृत्व करना होगा।

अतः, हम, प्रतिज्ञा करते हैं कि :-

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा इमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे ;
- हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे ;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं ;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे ;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे ;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के यथार्थ निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे ;
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा सूचक तंत्र का प्रबंध करेंगे ;
- हम संबंधित पक्षों एवं समाज के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करेंगे।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 की अनुपालन रिपोर्ट, क्षे.का./न.ने.सं.

क्र.सं.	क्षेत्र	मद	उत्तर
1.	भूमि प्रबंधन (भूमि, संपत्ति का स्वामित्व, अतिक्रमण मुद्दे आदि)	<p>क्या संगठन के पास अपने नियंत्रणाधीन भूमि के राजस्व दस्तावेज/रिकार्ड हैं?</p> <p>कितनी भूमि पर अतिक्रमण है और यह किन स्थानों पर हैं?</p> <p>अतिक्रमण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?</p> <p>कोई अन्य पहल?</p>	
2.	आवास/निवास का आवंटन और संबंधित मुद्दे	<p>क्या संगठन आवास आवंटन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का उपयोग करता है?</p> <p>क्या संगठन के पास आवास आवंटन नीति है?</p> <p>क्या निर्धारित नीति के अनुसार आवास आवंटन किया जाता है?</p> <p>क्या आवासों पर कोई अवैध कब्जा है, यदि कोई है तो क्या कार्रवाई की जा रही है?</p> <p>अन्य कोई मुद्दा?</p>	
3.	संगठन में बाह्य स्रोतों से सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को भुगतान और अन्य लाभ	<p>क्या संगठन के पास बाह्य स्रोतों से सेवाओं के लिए निर्धारित मानदंड हैं?</p> <p>यदि हाँ, तो क्या इन मानदंडों का पालन किया जाता है?</p> <p>क्या ठेकेदार द्वारा वेतन/मजदूरी का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है?</p> <p>क्या अन्य सांविधिक देय (पीएफ, चिकित्सा लाभ आदि) समय पर दिए जा रहे हैं?</p> <p>क्या बाह्य स्रोतों से नियुक्त व्यक्तियों को देय मजदूरी का भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जाता है और प्रबंधन द्वारा कोई जांच की जाती है?</p> <p>क्या विक्रेता, संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन कर रहे हैं?</p> <p>बाह्य स्रोतों से नियुक्ति के संबंध में कोई अन्य विशेष पहल?</p>	
4.	आस्तियों का प्रबंधन	क्या आस्तियों का निराकरण (संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, वाहन, विविध वस्तुएं आदि)	

		<p>वर्तमान नियमों के अनुसार संख्या से किया जा रहा है?</p> <p>आस्तियों के निराकरण की पिछली तिथि (संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, वाहन, विविध वस्तुएं आदि) दी जाए।</p>	
5.	01.09.2020 की स्थिति के अनुसार जाँच एवं रिपोर्ट के लिए लंबित शिकायतें	<p>छह महीने से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निपटान 20.10.2020 तक किया जाए।</p> <p>एक वर्ष से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निपटान 31.10.2020 तक किया जाए।</p> <p>दिनांक 01.11.2020 को लंबित शिकायतों की संख्या।</p>	
6.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग को आगे स्पष्टीकरण वाले लंबित सतर्कता मामले	मामलों का निष्पादन 31.10.2020 तक किया जाए।	
7.	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां	<p>छह महीने से अधिक समय से लंबित कार्यवाहियों को 31.10.2020 तक निपटाया जाए।</p> <p>दिनांक 01.11.2020 तक लंबित कार्यवाहियों की संख्या।</p>	
8.	लघु शास्ति की कार्यवाहियां	<p>छह महीने से अधिक समय से लंबित कार्यवाहियों को 20.10.2020 तक निपटाया जाए।</p> <p>एक वर्ष से अधिक समय से लंबित कार्यवाहियों को 31.10.2020 तक निपटाया जाए।</p> <p>दिनांक 01.11.2020 तक लंबित कार्यवाहियों की संख्या।</p>	
9.	मुख्य तकनीकी परीक्षक के निरीक्षण	सभी लंबित मुख्य तकनीकी परीक्षक निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा का उत्तर 15.10.2020 तक भेजा जाए।	
10.	मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा किए गए निवारक सतर्कता उपाय	<p>निरीक्षण</p> <p>प्रशिक्षण कार्यक्रम/ ई-प्रशिक्षण सहित कार्यशालाएं /ऑनलाइन प्रशिक्षण।</p> <p>क्या सभी अधिकारियों द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत की गयी हैं?</p> <p>क्या संगठन के पास रिकॉर्ड धारण / संरक्षण नीति है? यदि हां, तो अंतिम संशोधन की तिथि लिखें।</p> <p>क्या संगठन की वर्तमान धारण नीति के अनुसार रिकॉर्ड नष्ट किए जा रहे हैं?</p> <p>क्या संगठन पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण</p>	

		कर रहा है/ डिजिटलीकृत करने की योजना बना रहा है?	
11.	यदि संगठन विद्यालय, अस्पताल आदि चलाता है, तो	क्या प्रबंधन के लिए निर्धारित नीति का पालन किया जाता है?	
12.	लैंगिक संवेदीकरण संबंधी मामले	क्या संगठन ने कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के लिए निर्धारित समितियों का गठन किया है? यदि हाँ, तो अंतिम बैठक की तिथि। संगठन में सभी स्तरों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता कितनी है? क्या संगठन में लैंगिक संवेदीकरण संबंधी मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न की जा रही है?	
13.	प्रौद्योगिकी उत्तोलन - आईटी उपयोग और ई-गवर्नेंस	एक निवारक सतर्कता उपाय के रूप में आईटी का उपयोग करने के लिए पिछले एक वर्ष में की गई नई पहलें (प्रत्येक पहल लगभग 50 शब्दों में वर्णित की जाए)। क्या संगठन में चल रहे आईटी आधारित अनुप्रयोगों के लिए सूचना प्रणाली परीक्षण नियमित रूप से किया जाता है? अंतिम सूचना प्रणाली परीक्षण की तिथि दी जाए।	
14.	ऑडिट रिपोर्ट की संवीक्षा	ऑडिट पैरा लंबित क) जनवि की संख्या जिनमें पिछले 03 वर्षों से आंतरिक ऑडिट नहीं किया गए। ऑडिट पैरा लंबित ख) आज की तारीख तक लंबित ऑडिट पैरा (आंतरिक) की कुल संख्या। ऑडिट पैरा लंबित ग) आज की तारीख तक लंबित ऑडिट पैरा (एजी) की कुल संख्या। ऑडिट पैरा लंबित घ) जनवि की आंतरिक ऑडिट की कार्यालय द्वारा निर्धारित आवृत्ति।	
15.	नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों को अद्यतन करना	क्या संगठन नियमित रूप से अपने अनुदेशों, नियमों और विनियमों को संशोधित करता है? यदि हाँ, तो खरीद नियम, सीडीए नियमावली,	

		<p>स्थानांतरण / तैनाती नीति, एचआरए नीति, पदोन्नति नीति, धोखाधड़ी निवारण नीति / व्यापार नीति पर प्रतिबंध आदि की अंतिम संशोधन की तिथि।</p> <p>क्या संगठन ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए नियम बनाए हैं? यदि हां, तिथि प्रस्तुत करें।</p>	
16.	व्यवस्था में किए गए सुधार (100 शब्दों के भीतर संक्षिप्त विवरण)	व्यवस्था सुधार कार्यों / पहलों का विवरण, प्रत्येक कार्य / पहलों के लिए 50 शब्दों में दिया जाए / और सभी कार्यों के लिए कुल शब्द 100 से अधिक न हों।	
17.	सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित क्रियाकलापों की रिपोर्ट	ज.न.वि. स्तर पर आयोजित क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण	
18.	सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित क्रियाकलापों की रिपोर्ट	क्षे.का./न.ने.संस्थान स्तर पर आयोजित क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण	

उपायुक्त का नाम एवं हस्ताक्षर